

FORM-1

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli**

No---

Dated---26/05/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.230 hectares of forest land propose d to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Extension of Gauchar-Sidoli-Dhanpur motor road" in Chamoli district falls within jurisdiction, Obyagwad, Charkhilgwad & Dhanpur village (s) in Karanprayag tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.230 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Obyagwad, Charkhilgwad & Dhanpur ' sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.



**Signature
(Full name and official seal of the District Collector)**

जिलाधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 26.5.2015 at time 11.00 AM at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 2.230 hect for the construction of "Extension of Gauchar-sidoli-Dhanpur motor road" and forest land 2.230 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanpryag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated:.....


**District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee**

जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार के निर्माण हेतु 2.100 हे० वन पंचायत एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे० कुल 2.230 हे० भूमि का लो0नि0वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति.....

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (आरक्षित वन भूमि ...X... हे०, वन पंचायत भूमि 2.100 हे०, मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे० अर्थात् कुल 2.230 हे० वन भूमि) का अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 25/3/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ...
स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ... उपजिलाधिकारी, पार्षद अध्यक्ष।
- 2- श्री ... उप प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर, सदस्य।
- 3- श्री ... समाज कल्याण अधिकारी गोपेश्वर सदस्य / सचिव
- 4- श्री ... बी०डी०सी० क्षेत्र ... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक को कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि गौचर-सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार निर्माण हेतु 2.230 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वन-वेवगर का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को समझाते हुए उपखण्ड स्तरीय माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/अवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार निर्माण हेतु 2.230 हे० वन भूमि को जनहित में अक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-गौचर
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-गौचर
जनपद-चमोली

नाइपाल सिंह नेगी, सदस्य क्षेत्र पंचायत चमोली
मालवी सुरोहित, सदस्य क्षेत्र पंचायत चमोली

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि , एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे० कुल भूमि 2.230 हे० भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- ओब्याग्वाड
तहसील- कर्णप्रयाग
जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (वन पंचायत भूमि 2.100 हे० एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल) कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का का अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ओब्याग्वाड द्वारा दिनांक 10.02.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ओब्याग्वाड के ग्रामवासियों को उक्त 2.230 हे० वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- जी०बी० जोशी
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत ओब्याग्वाड
ग्राम पंचायत - ओब्याग्वाड
खण्ड-कर्णप्रयाग

ह०/-
ग्राम प्रधान



दिनांक ...10/02/2015.....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - ओब्यागवाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
11	रमेश शिंदे	रमेश शिंदे
12	ममता देवी	ममता देवी
13	जिला कर्मिंदे	जिला कर्मिंदे
14	गोता देवी	गोता देवी
5	मुंदी देवी	मुंदी देवी
6	सदाशिव देवी	सदाशिव देवी
7	सदाशिव देवी	सदाशिव देवी
8	वर्मा देवी	वर्मा देवी
9	वर्मा देवी	वर्मा देवी
10	विशाल देवी	विशाल देवी
11	कमला देवी	कमला देवी
12	विमला देवी	विमला देवी
13	सुनील देवी	सुनील देवी
14	विजय देवी	विजय देवी


 जी०बी० जोशी
 ग्राम पंचायत०अधि०
 ग्राम पंचायत०-ओब्यागवाड
 विकास खण्ड-कर्णप्रयाग

ह०/-

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे० कुल भूमि 2.230 हे० भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- धनपुर
तहसील- कर्णप्रयाग
जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (वन पंचायत भूमि 2.100 हे० एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल) कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का का अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में धनपुर द्वारा दिनांक 10.02.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धनपुर के ग्रामवासियों को उक्त 2.230हे० वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

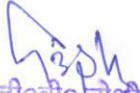
ह०/- जी०बी० जोशी
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत-धनपुर
विकास खण्ड-कर्णप्रयाग

ह०/-
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत-धनपुर
ह०. 10/02/15
दि०.....
वि.ख. कर्णप्रयाग, चमोली

दिनांक 10.2.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - धनपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शीतल सिंह	शीतल सिंह
2	बचन सिंह	बचन सिंह
3	हरि शर्मा	हरि शर्मा
4	नरेश सिंह	नरेश सिंह
5	दिनेश कुमार सिंह	दिनेश कुमार सिंह
6	अशोक सिंह	अशोक सिंह
7	विनोद सिंह	विनोद सिंह
8	जगज्जाल	जगज्जाल
9	धन सिंह	धन सिंह
10	हेम-क सिंह	हेम-क सिंह


 जी०बी० जोशी
 ग्राम पंचायत अति
 ग्राम पंचायत -- 10.2.2015
 विकास खण्ड-कर्णप्रयाग

ह०/-
 ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल हेतु कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- चर्खिल ग्वाड
तहसील- जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल हेतु कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

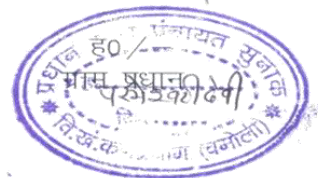
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चर्खिल ग्वाड द्वारा दिनांक 10.02.2015.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चर्खिल ग्वाड के ग्रामवासियों को 2.230 हे० वन पंचायत भूमि भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / 
ग्राम सचिव
ग्राम विकास अधिकारी
चर्खिल ग्वाड
क० प्रभा

सरपंच
वन पंचायत
ग्राम चर्खिल ग्वाड
म० २०१५



दिनांक 10.02.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - चर्खिल ग्वाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	बसन्तार सिंह	बसन्तार सिंह
2-	राम सिंह	राम सिंह
3-	रामा देवी	रामा देवी
4-	विजेश्वरी देवी	विजेश्वरी देवी
5-	मन्मथ देवी	मन्मथ देवी
6-	जयेश सिंह	जयेश सिंह
7-	जाल सिंह	जाल सिंह
8-	डांडा सिंह	डांडा सिंह
9-	शीला देवी	शीला देवी
10-	जयेंद्र सिंह	जयेंद्र सिंह
11-	मुनीष देवी	मुनीष देवी
12-	लीला देवी	लीला देवी
13-	माधेश्वरी देवी	माधेश्वरी देवी

संरपच
ग्राम पंचायत
चर्खिल ग्वाड
मन्मथ देवी

